

The exploitation of the lignite resources in the desert area of Rajasthan will ultimately pave the way for the advancement of the State.

(ii) MALPRACTICES IN SELECTION OF STUDENTS FOR ADMISSION TO EDUCATIONAL INSTITUTIONS, SPECIALLY IN TAMIL NADU.

DR. V. KULANDAIVELU (Chidambaram): I would like to draw the immediate attention of the House and the Union Ministry of Education to the serious plight of the poor and the underprivileged in the matter of admission to the educational institutions particularly in Tamil Nadu.

When a student to be uninfluential and poverty-ridden he or she could not be accommodated in the professional courses however bright his/her antecedents and education career may be. The reason for the deprivation lies in mal-administration attended with mal-practices. With a rare exception to the devoted colleagues, the private institutions are generally taking advantage of this situation. Selection to the professional courses like Medical, Engineering, Agriculture, Polytechnic and industrial training courses etc. and the publication of the results are subjected to undue delay for the same reason; and the innocent public have to face much hardship. The institutions can claim confidentiality in respect of records which would reveal the eligibilities of the selected candidates, but the fact is that the exploitation and malpractices continue to persist.

Unless the problem is seriously viewed, there may not be a maintenance of justice to the poor and the under-privileged. So, I urge upon the Union Government to curb this evil strongly.

15.03 hrs.

[DR. RAJENDRA KUMARI BAJPAI *in the Chair*]

(iii) NEED FOR SMALL INDUSTRIES IN BIDAR DISTRICT OF KARNATAKA.

SHRI NARSING SURYAWANSHI (Bidar): The Central Planning Commis-

sion has declared Bidar District as a chronically backward area. The problems on account of absence of industries are accentuated by the dry belt here, where agriculture is an impossible avocation. Bidar District is also a no-industry district. Unfortunately, Bidar is also a drought-prone area. The people seem to wither away as a consequence of unemployment and due to the neglect of the Centre. The Centre should allot liberally funds for setting up small industrial units fit for such dry areas, since the State is unable to expand its avenues for raising resources. Khadi and Village Industries Commission should be directed to encourage local people in self-employment. The dry farming techniques are to be taught to the local people. Drought-prone area programmes are to be implemented here. The Development Commissioner of Small Industries and the National Small Industries Commission should be directed to conduct surveys of this area so that small suitable units can be set up. One of the nationalised banks should be directed to adopt a taluk or two here for industrial development. Employment opportunity should thus be generated through setting up of small industries in semi-urban and urban areas and tiny units in rural areas of Bidar District. The Centre should immediately save this district from devastation beyond repair.

(iv) PROBLEMS BEING FACED BY HAND-LOOM WEAVERS.

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर): सभापति महोदय, हथकरघा उद्योग में संबंधित करोड़ों बुनकरों की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली जा रही है और सरकार की उदासीनता के कारण स्थिति शायबह होती जा रही है। सूत और कोमकल की किमतें आममान छू रही हैं जिससे बुनकरों की समक्ष भ्रूणमरी की स्थिति उत्पन्न हो रही है। बढ़ती हुई मुद्रास्फीति के कारण सूत और कोमकल की मूल्य वृद्धि पर सरकार द्वारा नियंत्रण न हो सकी है। वर्तमान स्थिति संपूर्ण हथकरघा उद्योग के विकास पर विनाशकारी प्रभाव डाल रही है। कम दाम पर बुनकरों को सूत प्रदान करने के

[श्री हरिकेश त्हादुर]

लिए अत्यंत कारगर कदम उठाने की आवश्यकता है। सार्वजनिक क्षेत्र के कारखानों में सूत का उत्पादन बढ़ाया जाना अत्यंत अनिवार्य है। अन्यथा बुनकरों को सस्ते दाम पर सूत उपलब्ध कराना असंभव हो जाएगा। साथ ही सरकारी क्षेत्र की दुकानों से सूत और कौंगकल्स पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने हेतु सरकार को तत्काल प्रभावी कदम उठाना चाहिए और बुनकरों को अपना कार्य चलाने हेतु आसान शर्तों पर ऋण भी उपलब्ध कराना चाहिए। इस समय उ. प्र. के कुछ स्थानों पर बुनकरों से ऋण वसूली हेतु जो बल प्रयोग किया जा रहा है, उसे बैंकों को निर्देश देकर रोकना चाहिए।

(V) NEED FOR GIVING FINANCIAL ASSISTANCE TO BIHAR FOR REPAIRING NATIONAL HIGHWAYS IN THE STATE

श्री राम स्वरूप राम (गया): आवागमन के दृष्टिकोण से बिहार इन दिनों का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। यहां की आबादी 7 करोड़ के लगभग है। यों तो देश के खनिज स्रोतों में से बिहार तीन हिस्सा अकेले राष्ट्र को देता है और बराबर केन्द्र में इसे उतनी गहायता नहीं मिलती है, जितनी मिलनी चाहिए। बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथ की लम्बाई 2100 किलोमीटर है और यही उच्च पथ ही आवागमन का एकमात्र राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण साधन है। पर राशि के अभाव में 2100 किलोमीटर राष्ट्रीय उच्च पथ की मरम्मत और निर्माण हेतु चालू वित्तीय वर्ष में सिर्फ 80 लाख रुपये का आवकलन स्वीकृत किया गया है। यह राशि बहुत ही अपर्याप्त है। जबकि राष्ट्रीय उच्च पथ संस्था-2 के मजबूतीकरण पर ही कुछ वर्षों के लिए 7-8 करोड़ रुपये व्यय होना अति आवश्यक है। तत्काल बिहार के राष्ट्रीय उच्च पथों पर स्थल नहीं किया गया और पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं करायी गयी तो इसका चरित्रका प्रभाव पड़ेगा और आर्थिक व्यवस्था प्रभावित होगी।

निर्णित विन्दुओं की गंभीरता को देखते हुए सरकार को निर्देश दिया जाये कि

जल्दी ही राज्य सरकार से विचार-विमर्श कर इस समस्या को समाधान करें।

(vi) NEED FOR RE-INTRODUCING AND PASSING THE LAND ACQUISITION (AMENDMENT) BILL IN THE CURRENT SESSION.

श्री विगम्बर सिंह (मथुरा): भारत कृषक समाज के राष्ट्रीय सम्मेलन विवेन्द्रम में प्रस्ताव सं. 6 में भूमि अधिग्रहण अधिनियम के संशोधन की मांग की गई। प्रधान मंत्री ने 16 फरवरी, 1981 को किसान रैली में संशोधन का घोषणा की, अनेक बार कृषि मंत्री लोक सभा, राज्य सभा और संघितियों और अन्य स्थानों पर वक्तव्य दे चुके हैं। करोड़ों किसान और अनेक संसद सदस्य मांग करते आ रहे हैं। सरकार ने 30 अप्रैल 1982 को एक संशोधन बिल सभा में पुरस्थापित किया। मैंने और अनेक संसद सदस्यों ने उसे अपूर्ण बताया। मैंने, कृषि मंत्री और प्रधान मंत्री से उसे पास न कराने की प्रार्थना की। प्रसन्ता की बात है कि सरकार ने उसे वापिस लेने और इस बजट सत्र में दूसरा पूर्ण विधेयक पुरस्थापित करने की घोषणा की है।

भारत सरकार से प्रार्थना है कि अभी उसे पुरस्थापित करने की घोषणा की है, पास करने की नहीं, उसे इसी सत्र में पास किया जाये। दूसरी प्रार्थना यह है कि कृषक समाज के प्रस्ताव, प्रधान मंत्री की घोषणा, कृषि मंत्री के वक्तव्यों और संसद सदस्यों तथा किसानों की मांगों को दृष्टि में रखते हुए उगमों कमी न रहने दी जाय। जैसे :

1. उत्तर प्रदेश सरकार भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 व 6 की अधिसूचना और घोषणा में तीन वर्ष के प्रतिबन्ध की अवहेलना करके आवास विकास परिषद् के मकानों का भूमि ले रही है, न ले सके। कोई सरकार अपने किसी अधिनियम द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 व 6 की अवहेलना करके भूमि न ले सके।

2. भूमि पर जब कब्जा हो तब से एक वर्ग से अधिक के मध्य का बाजार भाव न माना जाय।